हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला (कांगड़ा) 176 213

(अनुलिपि प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र)

कृपया इस पृष्ठ के पीछे की ओर लिखे निर्देशों को ध्यान में रखें

प्रथम अनुलिपि प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का शुल्क 600 /- है। दूसरा अनुलिपि प्रमाण-पत्र का शुल्क 1200 /- रुपये है। अनुलिपि प्रमाण-पत्र की तीसरी प्रति का शुल्क 2400/- रुपये है। अनुलिपि फेल/विभक्त परीक्षा कार्ड जारी करने का शुल्क 400/- रुपये है। दूसरा अनुलिपि फेल/विभक्त कार्ड का शुल्क रु० 600/- है।

नोट:—आवेदन पत्र/फोटो आपको उसी प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक से सत्यापित करवाना होगा जहां से आपने परीक्षा पास की है। प्राईवेट छात्र अपने नजदीकी स्कूल सैन्टर से अपना आवेदन/फोटो सत्यापित करवा सकते हैं। सत्यापन करने वाले अधिकारी का पूरा नाम, पद व पता अवश्य दर्शायें।

शुल्क अदा किए .....
बैंक ड्राफ्ट .....
पोस्टल आर्डर .....
बीडं रसीद नं0 ..... दिनांक .....

1. प्रार्थी का विवरण — लड़का/लड़की (कृपया निशान लगाएं)

नाम .....

पिता का नाम .....

माता का नाम .....

जन्म तिथि शब्दों में/अंकों में .....

.....

पासपोर्ट साईज फोटो की प्रति चिपकाएं तदोपरान्त सत्यापित करवाएं।

2. कृपया लिखिए किस प्रकार का प्रमाण-पत्र अपेक्षित है .....

(अनुलिपि प्रमाण-पत्र को पहली/दूसरी/तीसरी प्रतियोग्यता प्रमाण-पत्र/फेल/विभक्त कार्ड)

अनुलिपि प्रमाण-पत्र पुनः लेने का कारण .....
परीक्षा का नाम ..... अनुक्रमांक .....
वर्ष एवं सत्र ..... प्राप्त अंक .....
श्रेणी ..... परिणाम उतीर्ण/अनुतीर्ण .....
विद्यालय तथा जिले का नाम, जहां से परीक्षा दी है .....
(प्राईवेट प्रार्थी आवेदन-पत्र जहां कहीं भी पहले पढ़ता हो, वहां से मुख्याध्यापक से सत्यापित करवायें)
लिए गए विषय ..... 1 ..... 2 ..... 3 .....
4 ..... 5 ..... 6 ..... 7 .....
योग्यता अनुक्रमांक (यदि योग्यता प्रमाण-पत्र अपेक्षित है) .....

3. स्थाई पता .....
..... पिन कोड .....

प्रार्थी के हस्ताक्षर।

दिनांक .....

पत्राचार हेतु पता

अ0प्र0 पत्र नम्बर ..... सत्र/वर्ष .....
रोल नम्बर ..... कक्षा .....
नाम .....
पिता का नाम .....
गांव ..... डा0 .....
तहसील ..... जिला .....

पत्राचार हेतु पता

अ0प्र0 पत्र नम्बर ..... सत्र/वर्ष .....
रोल नम्बर ..... कक्षा .....
नाम .....
पिता का नाम .....
गांव ..... डा0 .....
तहसील ..... जिला .....

(सत्यापन करने वाले अधिकारी द्वारा स्वयं भरा जाए)

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि प्रार्थी ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... वही व्यक्ति जिसका कि ऊपर चिपका हुआ फोटो मेरे द्वारा प्रमाणित है और इसने वास्तव में अनुक्रमांक ..... वर्ष ..... सत्र ..... के अन्तर्गत ..... परीक्षा दी है तथा मेरे समक्ष ऊपर हस्ताक्षर किए हैं, तथा प्रार्थना-पत्र में लिखे सभी विवरण सही हैं।

हस्ताक्षर

सत्यापन करने वाले अधिकारी का ..... कार्यालय की मोहर सहित।
(स्पष्ट एवं पूरा नाम, पद एवं पता)

सत्यापन अधिकारी : मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्राचार्य जहां से विद्यार्थी ने परीक्षा दी है।

आवेदन-पत्र परीक्षार्थी स्वयं अपने हाथ से भरें।

नाम एवं पता (पत्र व्यवहार के लिए एवं अनुलिपि प्रमाण-पत्र भेजने के लिए) साफ-साफ शब्दों में लिखें।

..... पिन कोड .....

(केवल दूसरे राज्यों के लिए नियम-4)

4. अनुलिपि पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र निम्नलिखित से सत्यापित करवाए। हरियाणा तथा राजस्थान/पंजाब के किसी राजकीय उच्च विद्यालय/मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य, प्राचार्य से जहां एक दूसरे राज्यों को मान्यता प्राप्त विद्यालय का प्रश्न है तो मान्यता प्राप्त विद्यालय के मुख्याध्यापक से सत्यापित किया गया आवेदन-पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करवाया जाना भी आवश्यक है। इसके बिना आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अनिवार्य सूचना : जिन विद्यार्थियों ने वर्ष 1972 तथा वर्ष 1973 में परीक्षा पास की है उन्हें अपना आवेदन-पत्र उसी स्कूल के मुख्याध्यापक/सिमियर मैकेन्जरी स्कूल के प्रिंसिपल से प्रमाणित करवाना होगा साथ में एक सादे कागज पर जन्म तिथि का भी सत्यापन करवाना होगा जो कि सम्बन्धित जिला अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है तभी आवेदन-पत्र मान्य होगा।

5. कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की ओर से प्रार्थना-पत्र नहीं दे सकता या कार्यालय से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का प्रमाण-पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं ले सकता। प्रमाण-पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जाएगा।

6. यदि फार्म हर प्रकार से ठीक भरा हुआ हो तो प्रमाण-पत्र, प्रार्थना-पत्र और शुल्क प्राप्ति के सामान्यतः दो सप्ताह के अन्दर जारी कर दिया जाएगा।

7. अनुलिपि प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित आवेदन-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाने के अतिरिक्त (प्रथम श्रेणी के) कार्यकारी दण्डाधिकारी से सत्यापित शपथ-पत्र भी देना होगा। जिसमें उन सभी तथ्यों का ब्योरा दिया होगा जिसके कारण उस प्रतिलिपि प्रमाण-पत्र की पहली प्रति गुम होने/चोरी होने/जल जाने या अन्य किसी कारण से नष्ट हो जाने के कारण का उल्लेख किया जाएगा।

8. अनुलिपि प्रमाण-पत्र की तीसरी प्रति लेने के लिए जो औपचारिकताएं दूसरी प्रति लेने के लिए आवश्यक है वह सब पूरा करना आवश्यक होगा और इसके अतिरिक्त यदि प्रमाण-पत्र चोरी/गुम हो जाता है तो इसके लिए एफ0 आई0 आर0 (प्रथम सूचना रिपोर्ट) पुलिस थाने में पंजीकृत करवानी होगी और उसकी एक प्रति आवेदन-पत्र के साथ लगानी होगी।

9. इसके बाद किसी भी अवस्था में अनुलिपि प्रमाण-पत्र की कोई भी अन्य प्रति जारी नहीं की जाएगी।

10. एक माह के अन्दर प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने पर प्रार्थी को सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213 को लिखना चाहिए और अपने पत्र में अपना नाम, अनुक्रमांक और परीक्षा का वर्ष और बोर्ड के शुल्क की रसीद की संख्या दर्ज करनी चाहिए ताकि शीघ्र कार्यवाही की जा सके।

11. कार्यालय द्वारा एक बार सूचित त्रुटि/त्रुटियों का समाधान करवाने का उत्तरदायित्व प्रार्थी का होगा कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में बार-बार पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी : जिन परिक्षार्थियों की परिणाम शीटस नष्ट कर दी गई है अथवा किन्हीं कारणों से जराब/नष्ट हो गई है अथवा उपलब्ध नहीं है उन मामलों में विषयवार अंक नहीं दिए जाएंगे। केवल अनुलिपि प्रमाण-पत्र ही जारी किए जाएंगे। यह सभी नियम दिनांक 1-1-94 से प्रभावी होंगे।

नोट : अनुलिपि प्रमाण-पत्र लेने हेतु यदि आवेदकर्ता इस विसंगति पत्र के जारी होने के तीन महीने के भीतर पत्र में दर्शाई गई औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं करता या पत्र जारी होने के बाद भी अधूरा फार्म इस कार्यालय को भेजता है तो उसका आवेदन स्वतः ही रद्द हो जाएगा तथा शुल्क यदि छात्र ने जमा करवाया है तो वह भी वापिस नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

अंक.....

अनुभाग अधिकारी

लिपिक/सहायक.....

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला—1688-बी0 एस0 ई0/2002-23-8-2002—25,000.

Instruction No - 788

Approved Rule
12.5. DUPLICATE PASS CERTIFICATE. 12.5.1 In the event of loss of original certificate a candidate may, on making an application to that effect on the prescribed form duly **attested by any recognised school** and payment of requisite fee to obtain a duplicate certificate by **furnishing copy of FIR/DDR** from any Police Station, provided that if certificate has been destroyed under any other circumstances the candidate has to file an affidavit to that effect. **It is further provided that if certificate has been damaged & it has visibility of Roll number, session and name of candidate, the applicant has to surrender his damaged certificate along with application form with requisite fee. In such cases no need to furnished any affidavit /FIR or any declaration.**

सचिव